टिप्पणी

13

राज्यों में कार्यपालिका

आप पहले पढ़ चुके हैं कि भारत 28 राज्यों तथा 7 केंद्र शासित क्षेत्रों का संघ है और भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारत के लिए संघात्मक व्यवस्था को अपनाया था। ऐसी व्यवस्था में कार्यपालिका द्विस्तरीय होती है: संघ तथा राज्य। आपने दसवें पाठ में संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ा है।

राज्य के स्तर पर सामान्यत: केंद्रीय प्रारुप का अनुसरण करते हुए, राष्ट्रपति के स्थान पर राज्यपाल नाममात्र के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है जबकि वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य अपने कार्यों तथा त्रुटियों के लिए, व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप में राज्य के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आप:

- राज्यपाल को नियुक्त करने की विधि जान पाएंगे;
- राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं, कार्यकाल तथा विशेषाधिकारों की व्याख्या कर पाएंगे;
- राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियों सहित अन्य सभी शक्तियों का वर्णन कर सकेंगे;
- राज्यपाल की स्थिति तथा भूमिका का मूल्यांकन कर पाएंगे;
- बता पाएंगे कि मुख्यमंत्री का चयन/नियुक्ति कैसे होती है;
- मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा उसके गठन की विधि का वर्णन कर पाएंगे;
- मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियों की व्याख्या कर सकेंगे;
- राज्य स्तर पर राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच संबंधों का विश्लेषण कर सकेंगे।

भारत का राजनैतिक मानचित्र

13.1 राज्यपाल

भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यदि आवश्यकता पड़े तो एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां वहां के राज्यपाल में निहित होती हैं। वह इन शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है।

13.1.1 राज्यपाल: नियुक्ति, योग्यताएं, कार्यकाल, इत्यादि

किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसी राज्यपाल को उसी राज्य में या किसी दूसरे राज्य में पुन: नियुक्ति करने पर कोई पाबंदी नहीं है। इससे यह पता चलता है कि राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता परंतु नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:

1. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. वह कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, और
3. अपने कार्यकाल में किसी अन्य लाभ वाले पद पर नहीं रह सकता।

किंतु यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधायिका का अथवा राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद का सदस्य है और उसे राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है तो वह मंत्रीपरिषद का सदस्य नहीं रहता अर्थात पदमुक्त माना जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति पांच वर्ष के लिए की जाती है परंतु प्राय: राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बना रहता है। वह अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र दे

सकता है अथवा राष्ट्रपति द्वारा समय से पहले हटाया भी जा सकता है। वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति करते समय या उसे पदच्युत करते समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानता है। उसे निशुल्क आवास दिया जाता है, जिसे राजभवन कहते हैं। उसके वेतन, भत्ते, तथा अन्य सुविधाओं का निर्धारण समय-समय पर कानून बना कर किया जाता है किंतु उन्हें किसी भी राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता।

13.1.2 राज्यपालः शक्तियां, स्थिति तथा भूमिका

राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं- (i) राज्य का प्रमुख होने के नाते (ii) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। राज्य का मुखिया होने के नाते इसकी शक्तियों के अंतर्गत, आप इसकी कार्यपालिका संबंधी, विधायी, वित्तीय तथा क्षमादान करने की शक्तियों के बारे में पढ़ेगे। हम सबसे पहले राज्यपाल की इन्हीं शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे।

(क) कार्यकारी शक्तियाँ

राज्य में सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। वह न केवल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है बल्कि मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों को भी नियुक्ति करता है। स्थापित परम्परा के अनुसार विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को अथवा किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में कुछ दलों के गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। वह मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों में विभागों का विभाजन करता है। राज्यपाल राज्य के महान्यायवादी और राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी करता है।

वह उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य के सभी न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है किन्तु उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति करते समय राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है।

राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद से परामर्श एवं सहायता लेता है।

(ख) विधायी शक्तियां

राज्यपाल राज्य विधान सभा का एक अभिन्न अंग है तथा उसकी अनेक विधायी शक्तियां भी हैं। उसे राज्य विधान मंडल की बैठक बुलाने या स्थगित करने का अधिकार है। वह चाहे तो मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के परामर्श पर विधान सभा को भंग भी कर सकता है।

वह राज्य की विधान सभा को अथवा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सम्बोधित कर सकता है। वह किसी एक सदन अथवा दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। यदि राज्यपाल के विचार में आंग्ल भारतीय समुदाय को राज्य विधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व न मिला हो, तो राज्यपाल इस समुदाय के एक सदस्य को विधान सभा के लिए मनोनीत कर सकता है। (राज्य विधायिका की विस्तृत जानकारी के लिए पाठ संख्या 14 को देखिए)

जिन राज्यों में विधान परिषद है, वहां का राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये मनोनीत सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता अथवा समाज सेवा में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं।

किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। इस संबंध में राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प हैं:

(क) राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति प्रदान करे, ऐसा होने पर विधेयक कानून बन जाता है।

टिप्पणी

(ख) वह विधेयक को स्वीकृति देने की बजाए अपने पास रख ले तो इस स्थिति में विधेयक कानून नहीं बन पाता।

(ग) राज्यपाल कुछ संशोधनों सहित विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। यदि सदन इस विधेयक को संशोधित करके या मूल रूप से पारित कर राज्यपाल के पास भेज दे, तो वह स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता।

(घ) वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है।

यदि राज्य विधायिका का अधिवेशन न चल रहा हो, तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है किंतु इस प्रकार के अध्यादेश को विधान मण्डल की अगली सभा प्रारम्भ होने के छह सप्ताह के अंदर स्वीकृति मिलना आवश्यक है, अन्यथा अध्यादेश प्रभावी नहीं रहता। राज्य विधान सभा अध्यादेश के स्थान पर निर्धारित अवधि में एक नया कानून बना सकती है।

कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की तरह विधायी शक्तियों का प्रयोग भी वास्तव में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है।

(ग) *वित्तीय शक्तियां*

1. राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक राज्य विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
2. राज्य का वार्षिक बजट तथा अनुपूरक बजट, राज्यपाल के नाम से ही, विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है।
3. राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है।

(घ) *क्षमादान की शक्ति*

राज्यपाल के पास न्यायालय द्वारा दण्डित किसी अपराधी को उस राज्य के किसी कानून के विरुद्ध अपराध करने पर मिले दण्ड को माफ, स्थगित अथवा कम करने की शक्ति है।

(ङ) *स्वविवेक की शक्तियां*

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि राज्यपाल अपनी कार्यकारी संबंधी, विधायी, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते समय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद से परामर्श तथा सहयोग लेता है। उसकी यह शक्तियां उसे अपने राज्य के अध्यक्ष के नाते मिली हुई हैं। उसकी कुछ अन्य शक्तियां भी हैं जो उसे केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मिली हुई हैं। इन शक्तियों को स्वविवेक की शक्तियां भी कहते हैं। ऐसा कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में होता है जब राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना कोई कार्य करता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि राज्यपाल की ऐसी शक्तियों का प्रयोग उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये शक्तियां हैं:

1. यदि राज्यपाल के विचार में राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका हो तो वह उसकी सूचना तुरंत राष्ट्रपति को देकर, राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद की सलाह न लेकर, राज्यपाल स्वयं निर्णय करता है। इसलिए इसे स्वविवेक संबंधी शक्ति कहा जाता है। यदि राज्यपाल की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करता है और मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है। विधान सभा भी या तो भंग कर दी जाती है अथवा स्थगित कर दी जाती है। इस काल में राज्यपाल राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में शासन करता है।

टिप्पणी

2. एक परिस्थिति यह भी हो सकती है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना चाहे। क्योंकि राज्यपाल यह निर्णय स्वयं अपने आप लेता है, इसलिए यह भी उसकी स्वविवेक की शक्ति है। राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियां असामान्य और संकट काल के लिए रखी गई हैं। किंतु देखा यह गया है कि इन शक्तियों का प्रयोग न केवल ऐसी परिस्थितियों में हुआ है बल्कि सामान्य परिस्थितियों में भी विवादास्पद तरीके से किया गया है, जिससे केंद्र और राज्यों के संबंध में तनाव पैदा हुआ है।

पाठगत प्रश्न 13.1

1. किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?

   (क) राष्ट्रपति

   (ख) उपराष्ट्रपति

   (ग) प्रधानमंत्री

   (घ) भारत के मुख्य न्यायाधीश

2. राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है?

   (क) चार वर्ष

   (ख) पांच वर्ष

   (ग) छह वर्ष

   (घ) सात वर्ष

3. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है?

   (क) विधानसभा

   (ख) विधानपरिषद

   (ग) राज्यपाल

   (घ) राष्ट्रपति

4. राज्य में किसके द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है?

   (क) राज्यपाल

   (ख) राज्य गृहमंत्री

   (ग) मुख्यमंत्री

   (घ) राष्ट्रपति

5. किसकी सिफ़ारिश पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है।

   (क) राज्य का गृहमंत्री

टिप्पणी

(ख) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

(ग) मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद्

(घ) राष्ट्रपति

13.1.3 राज्यपाल की भूमिका तथा स्थिति

राज्यपाल की शक्तियों की सूची पर दृष्टि डालने से आप यह अनुभव करेंगे कि राज्यपाल राज्य में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। जैसा कि आप को विदित है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है न कि राज्यपाल द्वारा। राष्ट्रपति की तरह वह भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करता है इसलिए सामान्यतया राज्यपाल एक संवैधानिक औपचारिक मुखिया के रूप में कार्य करता है। किंतु असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल को अपनी शक्ति का प्रयोग अपने विवेक के आधार पर करने का अवसर मिल जाता है। 1967 के आम चुनावों से जब कई दलों ने संयुक्त विधायक दल की सरकार बनाने का विकल्प चुना, राज्यपाल का पद, अपनी स्वविवेक की शक्ति के कारण बहुत विवादास्पद बन गया है। राज्यपालों ने अपनी मनमर्जी से काम किया है और कई बार तो केन्द्रीय स्तर पर सत्तासीन दल को प्रसन्न करने का प्रयास किया है। संविधान विशेषज्ञों के अनुसार तीन क्षेत्रों में राज्यपाल की भूमिका बहुत विवादास्पद हो गई हैं। वे हैं: राष्ट्रपति को संकटकाल की घोषणा करने के लिए सिफारिश करना, किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति और दल बदल की स्थिति में मुख्यमंत्री के भविष्य का फैसला करना। इन विवादों के पीछे कई राज्यों में बहुदलीय मंत्रिपरिषदों का निर्माण, दलगत राजनीति, दल बदल की समस्या तथा दलों का विघटन मुख्य कारण रहे हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग तथा सरकारिया आयोग द्वारा भेजी गई सिफारिशें तथा सुझाव कागजों तक सिमट कर रह गए हैं जबकि वास्तविकता यह है कि इन सिफारिशों पर काम करने से राज्यपाल के काम में पक्षपात करने की सम्भावना कम हो सकती थी।

13.2 मुख्यमंत्री

प्रत्येक राज्य में, राज्यपाल के दायित्व निर्वहन में सहयोग और सहायता के लिए, एक मंत्रिपरिषद होती है। मुख्यमंत्री राज्य में सरकार का मुखिया होता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद राज्य स्तर पर वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करती है।

13.2.1 मंत्रिपरिषद का गठन

मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मंत्रीपरिषद में शामिल किए जाने वाले मंत्रियों के लिए राज्य विधायिका के किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। कोई व्यक्ति जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है उसे मंत्री नियुक्ति किया जा सकता है परंतु उसे छह महीने के अंदर राज्य विधायिका का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य है अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाता है। मंत्रियों में विभागों का विभाजन, मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा किया जाता है।

13.2.2 मुख्यमंत्री के कार्य

मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। मुख्यमंत्री की संवैधानिक स्थिति लगभग प्रधानमंत्री

जैसी होती है। राज्य के प्रशासन में मुख्यमंत्री की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। उसके कार्यों की चर्चा हम इस प्रकार कर सकते हैं:

1. मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक मुखिया है। उसी की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल मंत्रियों के विभागों का विभाजन भी मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है।

2. मुख्यमंत्री मंत्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय बनाता है तथा मंत्रिपरिषद का मार्ग दर्शन करता है।

3. राज्य सरकार के कानून तथा नीतियां बनाने में मुख्यमंत्री की भूमिका प्रमुख होती है। उसकी स्वीकृति से ही कोई मंत्री सदन में विधेयक प्रस्तावित करता है। वह विधान सभा के अंदर तथा बाहर, दोनों जगह सरकार की नीतियों का मुख्य प्रवक्ता होता है।

4. संविधान के अनुसार प्रशासन, राजकीय मामले तथा प्रस्तावित विधेयकों के बारे में राज्यपाल को जानकारी देने का दायित्व मुख्यमंत्री का है।

5. जब भी राज्यपाल चाहता है, मुख्यमंत्री को उपरोक्त विषयों के बारे में राज्यपाल को जानकारी देनी होती है।

6. ऐसा कोई विषय या मामला जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय लिया हो परंतु उस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया हो, राज्यपाल की इच्छा पर मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद में विचारार्थ रखा जाता है।

7. राज्यपाल और मंत्रिमण्डल के बीच संचार का एक मात्र सेतु मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार राज्यपाल को है।

उपरोक्त कार्यो से यह पता चलता है कि वास्तविक शक्तियां, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। राज्य मंत्रिपरिषद की स्थिति मुख्यतया इस बात पर निर्भर करती है कि सत्ताधारी दल की विधान सभा में क्या शक्ति है और मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व कैसा है। मुख्यमंत्री की स्थिति और भी शक्तिशाली हो जाती है यदि उसी का राजनीतिक दल केन्द्र में भी सत्ता में हो। जब तक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को विधान सभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त है, वे राज्य में वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

13.3 राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के बीच संबंध

राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। राज्य के सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य उसी के नाम से होते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर उसकी सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेदारी राज्यपाल की है। यह देखना भी उसी का दायित्व है कि राज्य प्रशासन संविधान के अनुसार चल रहा है कि नहीं। यदि वह यह अनुभव करे कि राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो चुका है अथवा प्रशासन संविधान के अनुसार बनाए नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो वह केन्द्र सरकार को राज्य में संकट काल की घोषणा करने की सिफारिश कर सकता है। वह अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श दे सकता है। यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाता है तो वह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर देता है जिसे सामान्यतया राष्ट्रपति शासन कहते हैं। घोषणा के पश्चात, राज्य प्रशासन पर केन्द्र का नियंत्रण हो जाता है और राज्यपाल केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है और विधान सभा या तो भंग अथवा स्थगित कर दी जाती है।

संविधान के अनुसार राज्य का प्रशासन सुचारु रूप से चलाने के लिए राज्यपाल के सहयोग तथा सहायता के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था होगी ताकि वह अपने दायित्व का वहन कर सके, सिवाय उस स्थिति के जब संविधान के अनुसार उसे स्वविवेक के आधार पर काम करना होता है। जब मुख्यमंत्री विधान सभा में विश्वास मत प्राप्त कर लेता है तब राज्यपाल का विवेकाधिकार कम हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है जबकि राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख रह जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यपाल की दोहरी भूमिका है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते वह मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करता है और केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी वह कार्य करता है। राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के आपसी संबंध राज्य के राजनीतिक तथा संवैधानिक वातावरण पर निर्भर करते हैं। सामान्यतया राज्यपाल राज्य का नाममात्र का प्रमुख है परंतु राष्ट्रपति शासन के समय वह केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि बन जाता है और राज्य प्रशासन का भार संभाल लेता है। संवैधानिक भावना को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल को एक प्रकार से केन्द्रीय सरकार की आंखें तथा कान भी कहा जा सकता है। चूंकि उसकी नियुक्ति, पदच्युति और स्थानांतरण केन्द्र सरकार द्वारा होता है, अतः वह केन्द्र सरकार तथा सत्ताधारी दल का आज्ञाकारी बना रहता है। एक बात तो स्पष्ट है कि राज्यपाल का कार्य केवल एक अम्पायर जैसा ही नहीं है जो केवल यह देखे कि खेल संवैधानिक प्रावधानों तथा उसमें निहित भावनाओं के अनुसार खेला जा रहा है अथवा नहीं।

पाठगत प्रश्न 13.2

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(क) मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?

.....

(ख) राज्य में मंत्रियों को नियुक्ति के लिए कौन चुनता है?

.....

2. कोष्ठक में से उपयुक्त शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

(क) राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति..... की सलाह पर करता है।

.....

(प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति)

(ख) राज्य मंत्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता

.....करता है।

(राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान सभा अध्यक्ष)

(ग) मंत्रिपरिषद .....के प्रति उत्तरदायी होती है।

(राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान सभा)

(घ) मुख्यमंत्री .....होता है।

(राज्य का प्रमुख, सरकार का प्रमुख)

आपने क्या सीखा

राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल पांच वर्ष है परंतु अवधि पूरी होने से पहले भी राज्यपाल को अपदस्थ किया जा सकता है।

वह कार्यकारी विधायी, वित्तीय, न्यायिक तथा विवेकाधिकार की शक्तियों का भी प्रयोग करता है।

राज्यपाल की विवेकाधिकार की शक्ति ने उसे विवादास्पद बना दिया है। प्रशासनिक सुधार आयोग तथा सरकारिया आयोग ने इसे निष्पक्ष बनाने के लिए प्रयास किए हैं परंतु कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख है। उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। जिस व्यक्ति को विधान सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, उसे राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। बाकी मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह राज्य सरकार के लिए नीतियों का निर्धारण करता है। वह राज्यपाल तथा अपने मंत्रियों के बीच सम्पर्क सेतु का कार्य करता है। वह विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। सामान्यकाल में, राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। परंतु जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति को संवैधानिक आपातकाल की घोषणा करने की सिफारिश करता है जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इस आपातकाल (संकट काल) में वह राष्ट्रपति की ओर से राज्य का प्रशासन चलाता है।

पाठांत प्रश्न

1. राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार होती है?
2. राज्यपाल किन शक्तियों का प्रयोग करता है?
3. क्या राज्यपाल का कोई विवेकाधिकार है? उसकी विवेकाधिकार की शक्तियों का उल्लेख कीजिए।
4. राज्यपाल की स्थिति तथा भूमिका बताइए।
5. राज्य मंत्रिपरिषद किस प्रकार गठित होती है?
6. मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन कीजिए।
7. राज्यपाल का मुख्यमंत्री के साथ संबंधों की व्याख्या कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

13.1

1. राष्ट्रपति
2. पांच वर्ष
3. विधान सभा

टिप्पणी

4. राज्यपाल

5. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद

13.2

1. (क) राज्यपाल

   (ख) मुख्यमंत्री

2. (क) मुख्यमंत्री

   (ख) मुख्यमंत्री

   (ग) विधान सभा

   (घ) सरकार का प्रमुख

पाठांत प्रश्नों के लिए संकेत

1. खण्ड 13.1.1 देखें
2. खण्ड 13.2 देखें
3. खण्ड 13.1.2 देखें
4. खण्ड 13.1.3 देखें
5. खण्ड 13.3 देखें
6. खण्ड 13.3.1 देखें
7. खण्ड 13.3.2 देखें
8. खण्ड 13.4 देखें